अनुसुची 21 - प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० 16 /2020

चूँकि श्री विनोद कुमार प्रेमा S/O स्व. लक्ष्मी कान्त प्रेमा
सा. पश्चिमी स्कूल दरभंगा पो.- दरभंगा

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों एवं अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकों में ता० 1-1-90 से ता० 4-1-2020 तक तलाश कि गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है। नहीं

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	प्रो.जा हवेली दरभंगा खेसरा जलकर बनकर लक्ष्मीसागर पो.ग. दरभंगा आना नं० 458 खाता 148 (O) 1117 (N) खेसरा- 369 (O) 1053 (N) मात्र							

जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा।

ज्ञाप सं०- 16 दिनांक- 4-1-2020

जिला अवर निबंधक
दरभंगा।

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें अर्थात् कि इसका उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Scanned by CamScanner

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है ।
निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण तैयार किया:-

(हस्ताक्षर) .....

(पदनाम) OS लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की :-

(हस्ताक्षर) .....

(पदनाम) लिपिक

कार्यालय:- जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा

तारीख 4/1/20 मुहर

जिला अवर निबंधन पदाधिकारी
दरभंगा

4/1/20

1. टिप्पणी : इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया हो तो ऐसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।
2. निबंधन अधिनियम धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियो (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारो के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेंगी ।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नही की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगी ।

(ख) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है चूँकि उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह संबंध न होना जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।

Scanned by CamScanner